The Minister of Defence (Shri Krishna Menon): A statement giving details is laid on the Table. [*See* Appendix II, annexure No. 23].

General Elections, 1962

1043. Shri Kalika Singh: Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) the likely dates of General Elections to be held early in 1962;

(b) the improvements in election programme over that of the year 1957;

(c) the likely gap between the date of poll and the date of announcing results;

(d) care taken to stop false personification and tampering with ballot boxes; and

(e) the extent to which publicity about candidates will be taken up by the Commission?

The Deputy Minister of Law (Shri Hajarnavis): (a) The Election Commission has not taken any final decision about the programme for the next general elections. However, after taking into consideration all the circumstances, the Commission has come to the *provisional* conclusion that the last week of February 1962 would be the most convenient period for the purpose, except in the snow-bound areas in Himachal Predesh and Kulu sub-division where polling is likely to take place some time in April, 1962.

(b) During the general elections of 1957, the poll was spread over a period of about three weeks. In the forthcoming general elections, the Election Commission hopes to complete the poll all over India in one week (barring a few exceptional cases like the snow-bound constituencies of Punjab and Himachal Pradesh). The number of days of actual polling in the several States may vary from one to four, depending on the polling and police personnel and transport facilities available in the State.

(c) Counting of votes in every constituency will be taken up as soon as possible after completion of poll, but not before the last date of poll in the State. All results are likely to be announced within 3 or 4 days of that date. The gap between the date of poll in a constituency and the announcement of result is not likely to be more than one week in any case.

(d) Provision exists in the rules enabling the polling agents of candidates to challenge any voter suspected of impersonation. In rural areas village officers assist the presiding officers in identifying voters. These measures are considered sufficient.

All the usual precautions will be taken for the safe custody of the ballot boxes between poll and counting.

(e) The Election Commission does not propose to undertake any publicity on behalf of candidates.

शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

१०४४. { **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कितने अनुभाग हैं और उनमें कितने ऐसे हैं जिनमें हिन्दी जानने वालों की बहु संख्या है; और

(ख) ऐसे अनुभागों की संख्या कितनी है जिन्हें हिन्दी में टिप्पण और पत्रों के प्रारूप लिखने की अनुमति दी गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) मंत्रालय में क्रमशः ४६ और ४१ ।

मंत्रालय का कोई सम्बद्ध कार्यालय नहीं है ।

(ख) मंत्रालय के सभी अनुभागों से कहा गया है कि वे हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दें और जहां तक सम्भव हो उनसे सम्बन्धित सभी फाइलों पर टिप्पणी (नोटिंग) भी हिन्दी में करें ।

दिल्ली की अदालतों में हिन्दी का प्रयोग

१०४५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की अदालतों में हिन्दी के प्रयोग के लिये पंजाब उच्च न्यायालय से मांगी गई अनुमति प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो दिल्ली की अदालतों में हिन्दी को जारी करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विधि मंत्रालय में हिन्दी का काम

१०४६. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **विधि** मंत्री १ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी का काम निबटाने के लिए अनुवाद शाखा में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है और अनुवाद शाखा में कितने कर्मचारी बढ़ाये जायेंगे ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख). तारीख ८ जून, १९६१ वाले विधि मंत्रालय के संकल्प सं० एफ० ३९।६१–प्रशा० १ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । इसकी एक प्रति सदन के पटल पर ७ अगस्त, १९६१ को रख दी गई थी । अब राज भाषा (विधायी) आयोग को सभी केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों तथा किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी ऐसे अध्यादेश या विनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के हिन्दी में प्रामाणिक मूलपाठ तैयार करने का काम सौंपा गया है । आयोग के अध्यक्ष ने अपने कर्त्तव्य का भार १० जुलाई, १९६१ को सम्भाल लिया था और यह सम्भावना है कि आयोग सितम्बर १९६१ के मध्य से पूरे तौर से काम करने लग जायेगा । अनुवाद कार्य को तेजी से निबटाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों के रखे जाने के प्रश्न पर आयोग के साथ परामर्श किया जा रहा है ।

विस्तार निदेशालय की कार्यवाही हिन्दी में

१०४७. श्री प्रकाशवीर शास्त्री: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्तार निदेशालय द्वारा १९६०–६१ में ऐसे कितने कन्वेन्शन, सम्मेलन और गोष्ठियां बुलाई गईं जिनकी कार्यवाही हिन्दी में छपी है; और

(ख) ऐसी कार्यवाहियों को हिन्दी में प्रकाशित कराने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). विभिन्न राज्यों में २३ सेमिनारों का आयोजन किया गया था और चूंकि सेमिनारों में भाग लेने वाले विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, इसलिए इन सेमिनारों की कार्यवाइयां अंग्रेजी में ही प्रकाशित की जाती हैं । सेमिनारों के निदेशकों को सलाह दी गई है कि वे उन प्रकाशनों को जिनसे सेमिनारों के उद्देश्यों को प्रोत्साहन मिलता हो हिन्दी